सत्येंद्र जी

बिहार सरकार

मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 24.08.26

एस0ओ0सं0–IV–के0वि0–12–17 / 2026– 5340, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल शेखोपुरसराय, शेखपुरा में केन्द्रीय विद्यालय, शेखोपुरसराय, शेखपुरा के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त 47.847 डी0 भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य निबंधन शुल्क की शत–प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/8/2026

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

24.08.26

एस.ओ.सं0 IV–के0वि0–12–17 / 2026– 5340 पटना, दिनांक– 24.08.26

प्रतिलिपिः–उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/8/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

24.08.26

Government of Bihar

Department of Prohibition, Excise & Registration

(Registration)

Notification

Patna, Dated : 24.08.26

S.O.No.- IV–के0वि0–12–17 / 2026– 5340, In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully, the registration fee, chargeable on registration of lease document related to transfer of additional 47.847 decimal of land for construction of Kendriya Vidyalaya, Sheikhopursarai, Sheikhpura building at Sheikhopursarai, Sheikhpura for 30 (Thirty) years.

2. It shall come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,

24/8/2026

(Sanjai Kumar)

Joint Secretary to the Government.

24.08.26

ज्ञापांक– IV–के0वि0–12–17 / 2026– 5340 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800007 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

24/8/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

24.08.26

ज्ञापांक– IV–के0वि0–12–17 / 2026 5340 पटना, दिनांक– 24.08.26

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

24.08.26

ज्ञापांक– IV–के0वि0–12–17 / 2026 5340 पटना, दिनांक– 24.08.26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, / सभी अपर मुख्य सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक / माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव / मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी / सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल) / जिला अवर निबंधक (सभी) / कोषागार पदाधिकारी (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

24.0826